राजस्व अपील संख्या : 19/2025

उनवान : सीमा कंवर व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 19/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/74

अपीलाण्ट :–

1. सीमा कंवर पुत्री श्री डूंगरदान
2. प्रकाश कंवर पुत्री श्री डूंगरदान
3. सूरज कंवर पत्नी श्री डूंगरदान
   जातिगण चारण निवासीगण
   ढेलडी तहसील देसूरी जिला
   पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 463/2025 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2025 द्वारा पारित किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली

–:निर्णय:–

दिनांक: 25.07.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 463/2025 सरकार बनाम सीमा कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2025 को निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का देसूरी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बिना तारीख के पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर पत्रावली दिनांक 25.04.2025 को नियत की गई। अपीलार्थी पर पेशी तारीख से एक दिन पहले ही तामील होने से अपीलार्थीगण की ओर से पेशी तारीख दिनांक 25.04.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब के लिए राजस्व रिकॉर्ड व प्रमाणित प्रतियां लेने के लिए जवाब के लिए एक अवसर देने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर किसी तरह का आदेश किये बिना ही अपीलाण्ट को समुचित अवसर दिये बिना ही उसी निर्णय अन्तर्गत अपील पारित कर दिया गया।

यह भी कि, अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अन्तर्गत अपील पारित करने से पहले अपीलार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन किया गया है जिससे भी निर्णय अन्तर्गत अपील निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय मात्र पटवारी रिपोर्ट का मान कर दे दिया जबकि विधिअनुसार राज्य सरकार की तरफ से उक्त रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य पेश की जानी चाहिए थी व अपीलार्थीगण को पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिये था व तत्पश्चात अपीलार्थीगण को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था मगर अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 19/2025
उनवान : सीमा कंवर व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय ने विधि के आदेशात्मक प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय अन्तर्गत अपील पारित किया है, साथ ही उक्त कृषि भूमि नियमन योग्य है व अपीलार्थीगण उक्त कृषि भूमि के नियमन के योग्य होने से उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण को नियमन की जानी चाहिए। उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण का पीढियों से कब्जा चला आ रहा है जो दस्तावेजों से साबित है जिससे उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के लिये नियमन योग्य होने से बेदखली के आदेश पारित नही किये जाने चाहिये थे जिससे भी निर्णय अन्तर्गत अपील निरस्त होने योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अन्तर्गत अपील निरस्त किया जाए व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाकर अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिलवाया जाकर उक्त भूमि को नियमन किये जाने के आदेश पारित किया जाए।

अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से वक्त बहस कोई उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एवं बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तीन दिन में बेदखली आदेश पारित किया गया।। गैर सायलान/अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में लिखित निवेदन किया गया कि जवाव हेतु अवसर प्रदान किया जाए, किन्तु उक्त लिखित दरख्वास्त का उल्लेख और उसका खण्डन किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपाधापी में आलोच्य निर्णय पारित किया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से खारिज फरमावें, यह भी, कि विवादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा पीढियों से चला आ रहा है, जो कि नियमन योग्य है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित Non Speaking आदेश दिनांक 25.04.2025 को अपास्त करते हुए प्रश्नगत भूमि हमारे पक्ष में नियमन करने के भी आदेश फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी गई तथा अपील मीमों, संलग्न दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित प्रकरण संख्या 463/2025 का गहनता से अवलोकन किया गया।

मज़मून यह है कि हल्का पटवारी केसूली द्वारा तहसीलदार देसूरी को इस आशय की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थीगण/गैर सायलान द्वारा ग्राम ढेलड़ी के खसरा संख्या 99/290 किस्म बा.अ. रकबा 0.57 हैक्टेयर में से 0.32 हैक्टेयर पर पड़त कब्जा किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 463/2025 के रुप में दर्ज करते हुए दिनांक 23.04.2025 को ही गैर सायलान को नोटिस प्रेषित कर दिनांक 25.04.2025 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। तमाम गैर सायलान की ओर से अधिवक्ता द्वारा नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण व राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने तक गैर सायलान पक्ष को जवाब हेतु अवसर प्रदान किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उसी रोज़ दिनांक 25.04.2025 को प्रकरण निर्णीत करते हुए आलोच्य बेदखली आदेश बख़िलाफ अपीलाण्ट पारित किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष का तर्क है कि उनकी लिखित दरख्वास्त को नज़रअन्दाज करते हुए तथा आलोच्य निर्णय में उसका उल्लेख तथा खण्डन किए बगैर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए उक्त आलोच्य निर्णय पारित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 19/2025
उनवान : सीमा कंवर व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः न्यायालय हाजा के समक्ष अभिनिर्धारण हेतु मूल प्रश्न यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 463/2025 में निर्णय दिनांक 25.04.2025 पारित करने से पूर्व गैर सायलान/अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है ?

प्रकरण संख्या 463/2025 के मूल रिकॉर्ड के सरसरी अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि गैर सायलान को उपस्थित होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन प्रेषित किए गए तथा उक्त गैर सायलान ज़रिए अधिवक्ता नियत तारीख को न्यायालय में उपस्थित भी हुए। अधिवक्ता द्वारा प्रकरण व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने तक जवाब प्रस्तुत करने के अवसर बाबत् निवेदन किया गया। जिसका पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशिका में अंकन भी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2025 को पारित आलोच्य निर्णय के पेराग्राफ तीन में उक्त लिखित निवेदन को सकारण खारिज करते हुए अंकित किया कि चूंकि प्रकरण पी.एल.पी.सी. में दर्ज है अतः अगली तारीख/पेशी दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपीलार्थीगण का यह तर्क दस्तावेजी आधार पर सिद्ध नहीं पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/गैर सायलान के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश किए बिना ही उनके विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया गया।

यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरणों का समरी ट्रायल से निस्तारण किया जाना अपेक्षित है, जिसमें उत्तरोत्तर साक्ष्य, जवाब पत्र, जिरह इत्यादि आवश्यक नहीं है। यह भी, महत्वपूर्ण है कि न्यायालय हाजा में भी अपीलाण्ट द्वारा उक्त अतिक्रमण के खण्डन में अथवा उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में वैध कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं कि गए है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तत्समय लम्बित प्रकरण 463/2025 में उनके द्वारा प्रकरण व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त होने तक जवाब का अवसर मांगना उनके विरुद्ध प्रस्तावित उक्त कार्यवाही को विलम्बित करने का प्रयास मात्र था। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त विलम्ब कारित करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 463/2025 में सम्पादित कार्यवाही में ऐसी कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है जिसका राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानान्तर्गत संज्ञान लेकर उक्त कार्यवाही को अपास्त किया जाए।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रमाणित सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner